



2026:AHC:47997

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - बी संख्या - 818 सन् 2026

परवेज आलम

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: श्रवण कुमार यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

:सी. एस. सी

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय,

1- याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्रवण कुमार यादव तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव को सुना गया।

2- प्रस्तुत रिट याचिका परमादेश की प्रकृति में इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि प्रतिवादी संख्या-2, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, को निर्देशित किया जाए कि वह पुनरीक्षण संख्या REV/5374/2025, सहारनपुर कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या R20250960005374 (एजाज अहमद बनाम परवेज आलम), जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 219 के अंतर्गत लंबित है, का निर्धारित समयावधि के भीतर यथाशीघ्र निस्तारण करें।

3- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा, याचिकाकर्ता को विपक्षी पक्षकार बनाते हुए, उत्तर प्रदेश राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 34 के अंतर्गत की गई कार्यवाही से उत्पन्न पुनरीक्षण वर्ष 2025 से प्रतिवादी संख्या-2, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, के समक्ष लंबित है। उन्होंने दिनांक 15.12.2025 का आदेश भी प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या-3 द्वारा दिनांक 24.04.2017 के आदेश के विरुद्ध अत्यधिक विलंब से दायर पुनरीक्षण को ग्रहण किया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि उक्त पुनरीक्षण में उत्तर प्रदेश राजस्व

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिषद द्वारा अंतरिम आदेश भी पारित किया जा चुका है, अतः उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएं कि उक्त पुनरीक्षण का समयबद्ध निस्तारण किया जाए।

4- प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, यह याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या-2 उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, उक्त पुनरीक्षण का यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर, विधि के अनुसार तथा संबंधित पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, निस्तारण सुनिश्चित करें।

(चन्द्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

10 मार्च, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।